समाहरणालय, सिवान

(जिला आपूर्ति शाखा)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकानों की अनुज्ञप्ति हेतु

—: सूचना/विज्ञापन :—

सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना के संकल्प संख्या—963 दिनांक 20.01.2016, परिपत्र संख्या—2342 दिनांक 15.02.2016 एवं 14396, दिनांक— 10.09.2024 तथा बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 में वर्णित प्रावधानों एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2905/खाद्य, दिनांक 06.07.2020, पत्रांक 3791/खाद्य, दिनांक 26.08.2022, पत्रांक 1070/खाद्य, दिनांक 13.03.2023, एवं पत्रांक प्र0 07—ज0वि0प्र0(अनुज्ञप्ति)—05/2025 I/228263/2025, दिनांक 11.04.2025, में निहित प्रावधानों के आलोक में सिवान जिलान्तर्गत सिवान सदर एवं महाराजगंज अनुमण्डल के जन वितरण प्रणाली के दुकानों की रिक्तियां निम्न प्रकार है :—

क्र0		अनारक्षित		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग		पिछड़ा वर्ग		पि0 वर्ग की महिला (3%)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति		योग
	अनुमण्डल का नाम	अना0	अना0 महिला	EWS	EWS महिला	पि0 वर्ग	पि0 वर्ग महिला		अ0 पि0 वर्ग	अ0 पि0 वर्ग म0	अनु0 जाति	अनु0 जाति म0	अनु0 जन जाति	अनु0 जन जाति महिला	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	सिवान सदर	36	19	8	5	0	0	0	16	8	25	14	2	1	134
2	महाराजगंज	11	6	6	4	0	0	0	35	19	8	4	2	0	95
	कुल—	47	25	14	9	0	0	0	51	27	33	18	4	1	229

इस प्रकार कुल 229 (दो सौ उन्तीस) ज०वि०प्र० दुकानों की रिक्तियों को भरने हेतु संबंधित पंचायत/वार्ड के स्थायी निवासियों से सिवान जिले के वेबसाईट पर ऑनलाईन Nic Form में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन हेतु शर्ते निम्न प्रकार है :—

1. बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान/जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पत्र व्यक्तियों के लिए अनुसूची—1 के प्रपत्र में तथा स्वयं सहायता समूह, महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों के लिए अनुसूची—2 के प्रपत्र में आवेदन पत्र सिवान जिले के वेबसाईट www.siwan.nic.in पर दिनांक 16.03.2026 से 04.04.2026 तक प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन—पत्र अधूरा या अपूर्ण रहने पर उक्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और वयस्क होगा परन्तु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्यता को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी।
3. अनुज्ञप्ति निर्गत करने में निम्न प्रकार से प्राथमिकता दी जाएगी (क) स्वयं सहायता समूह (ख) महिलाओं की सहयोग समितियों (ग) पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों (घ) शिक्षित बेरोजगार तथा (ङ) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. अनारक्षित रिक्तियों के विरूद्ध सभी वर्ग के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे एवं चयन पूर्णरूपेण मेघा के आधार पर होगा और उनकी स्थिति अनारक्षित होगी।
5. स्वयं सहायता समूह सदयोग समितियों के मामले में सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग, बिहार पटना के आदेश ज्ञापांक 1703/खाद्य दिनांक 25.02.2015 आरक्षण संबंधित निदेश मान्य होगा।
6. उचित मूल्य के दुकान के स्वामी को उचित मूल्य की दुकान को उसके पोषण क्षेत्र में रखना होगा।
7. निम्नलिखित व्यक्तियों को दुकान आवंटित नहीं किया जायेगा :—

I- एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी। पिता, माता, भाई की पत्नी (भाभी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधु और सौतेला भाई परिवार की परिभाषा में आऐंगे।

II- मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (Disqualified) रहेंगे।

III- आटा चक्की के मालिक एवं उसके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी।

IV- अवयस्क या पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी।

V- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति आवंटित नहीं की जाएगी।

VI- सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी।

8. विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व अनुज्ञप्ति हेतु दिये गये आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. जन वितरण प्रणाली विक्रेता से संबंधित माननीय न्यायालय में लंबित मामलों में पारित अंतिम आदेश के आलोक में रिक्ति एवं कोटि में परिवर्तन हो सकता है जिसके आलोक में चयन समिति को आवेदन अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
10. दिव्यांगों के लिए निर्धारित आरक्षण सिवान सदर अनुमण्डल में 05 पद एवं महाराजगंज में 03 पद दिव्यांग के लिए आरक्षित है।
11. प्रखण्डवार/पंचायत/वार्डवार जन वितरण प्रणाली के दुकानों की आरक्षणवार रिक्तियों के संबंध में आवश्यक जानकारी संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी, सिवान सदर/महाराजगंज के कार्यालय सूचना पट्ट एवं जिला के वेबसाईट www.siwan.nic.in से प्राप्त कर सकते है।
12. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या– 4319, दिनांक– 02.03.2023 के आलोक में कुल पद का 10 प्रतिशत बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षण देय होगा।
13. स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के लिए दो–दो पद आरक्षित है।
14. (i) अनुज्ञापन पदाधिकारी प्राप्त आवेदनों को जाँचोपरान्त रिक्तिवार मेधा क्रमांक प्रदर्शित करते हुए अपनी अनुशंसा के साथ औपबंधिक मेधा सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय चयन समिति को भेजेंगे।

(ii) तत्पश्चात जिला स्तरीय चयन समिति की अनुमति से औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय सूचना पट्ट पर करते हुए प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष लिखित दावा/आपत्तियों को समर्पित करने का अवसर असंतुष्ट आवेदकों को दिया जाएगा।

(iii) दावा/आपत्ति प्राप्त होने की अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रत्येक दावा/आपत्ति का विधि–सम्मत् निष्पादन करते हुए जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी एवं प्रत्येक दावा/आपत्ति के निष्पादन के संबंध में संक्षिप्त अभ्युक्ति कारण सहित अंकित की जाएगी।

(iv) अंतिम मेधा सूची के प्रकाशन में सन्निहित अनुशंसा के विरुद्ध कोई असंतुष्ट आवेदक स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए साक्ष्यों के साथ 15 दिनों के भीतर प्रमण्डलीय आयुक्त के समक्ष परिवाद दायर कर सकेंगे। प्रमण्डलीय आयुक्त रिक्तिवार प्राप्त परिवादों का एक साथ निष्पादन करेंगे। साथ ही सभी परिवादों का निष्पादन परिवाद प्राप्ति की तिथि से अधिकतम 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

(v) वैसे सभी मामलों में जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर अंतिम मेधा सूची के विरुद्ध प्रमण्डलीय आयुक्त के समक्ष कोई परिवाद दायर नहीं किया गया हो, अनुज्ञापन पदाधिकारी विहित प्रक्रिया से अनुज्ञप्ति निर्गत करेंगे। किन्तु जिन मामलों में प्रमण्डलीय आयुक्त के समक्ष परिवाद दायर किया गया हो, वैसे मामलों में प्रमण्डलीय आयुक्त के द्वारा आदेश पारित होने के बाद उक्त आदेश के आलोक में अनुज्ञप्ति निर्गत की जाएगी।

(vi) जिला स्तरीय चयन समति के निर्णय के विरुद्ध प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा।

नोट :–

1. आवेदक को आवेदन पत्र में अपना रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो (हाल का खींचा हुआ) अपलोड करना होगा एवं अपना मोबाईल संख्या आवेदन में अंकित करना होगा।
2. आवेदक को आवेदन पत्र में उस पंचायत/वार्ड संख्या एवं आरक्षण श्रेणी का चयन करना होगा, जिस पंचायत/वार्ड एवं आरक्षण श्रेणी के लिए आवेदन कर रहें है।
3. शैक्षणिक योग्यता/कम्प्यूटर से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित स्पष्ट छायाप्रति आवेदन के साथ अपलोड करना होगा।
4. आरक्षित श्रेणी के आवेदन को अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ अपलोड करना होगा।
5. संबंधित पंचायत/वार्ड का निवासी होने का लाभ लेने के लिए अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आवास प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ अपलोड करना होगा।
6. पुलिस अधीक्षक, सिवान द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ अपलोड करना है।
7. एक से अधिक पंचायत/वार्ड में के लिए आवेदन करने पर आवेदक के सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
8. सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा।
9. जिन पंचायतों/वार्डों में यदि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिये अनुसूचित जनजाति का कोई सुयोग्य आवेदक नही हो, तो इसे अनुसूचित जाति के आवेदक द्वारा भरा जयेगा, और यदि अत्यन्त पिछडा वर्ग के लिये आरक्षित उचित मूल्य की दुकान कि लिये अत्यन्त पिछडा वर्ग का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो तो इसे पिछड़े वर्ग के आवेदक एवं तद्नुसार इसके विपरीत क्रम (vice versa) द्वारा भरा जायेगा।
10. आवेदक जिस स्थान पर जन वितरण प्रणली की दुकान चलाना चाहते है, उसका खाता. खेसरा एवं रकबा से संबंधित खतियान/केवाला एवं अद्यतन लगान रसीद की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ अपलोड करना होगा।
11. आवेदक द्वारा इस आशय का स्वघोषणा देंगे कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में प्रविष्ट की गई सभी सूचना सही है तथा गलत सूचना पाये जाने पर उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।
12. विज्ञापन से संबंधित सभी अधिकार, जिला पदाधिकारी, सिवान की अध्यक्षता वाली कमिटी जिला चयन समिति के अधीन होगा। जिला पदाधिकारी, सिवान विज्ञापन को संशोधित/रद्द करने के लिये सर्वाधिकार धारित करते है।
13. इच्छुक आवेदक दिनांक–16.03.2026 से दिनांक–04.04.2026 तक सभी शैक्षणिक योग्यता/अन्य प्रमाण पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ जिला के वेबसाईट www.siwan.nic.in पर ऑनलाईन समर्पित करेंगे। प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं होने के स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिया जायेगा। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात् वेबलिंक निष्क्रिय कर दिया जायेगा। आवेदन किसी अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं किया जायेगा।
14. ऑनलाईन समर्पित किये हुये आवेदन का प्रिंट आउट आवेदक अपने पास सुरक्षित रखेंगे।
15. आवेदक, विज्ञापन से संबंधित अपडेट अन्य घोषणाओं हेतु नियमित रूप से जिला के वेबसाईट www.siwan.nic.in का अवलोकन करते रहेंगे।

17/2/26

(विवेक रंजन मैत्रेय)
जिला पदाधिकारी,
सिवान।

New rikti format

क्र0	अनुमण्डल	प्रखण्ड / न0 परि का नाम	पंचायत / वार्ड सं0	अनारक्षित	अनारक्षित महिला	अनु0 जाति	अनु0 जाति (महिला)	अनु0 जन जाति वर्ग	अनु0 जन जाति (महिला)	अ0पि0वर्ग	अ0पि0वर्ग (महिला)	पि0 वर्ग	पि0 वर्ग (महिला)	पि0 वर्ग की महिला (3%)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	अनुमण्डल सिवान सदर	नवतन	नवतन	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2		मैरवा	कबीरपुर	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3			इंग्लिश	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4			सेमरा	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
5			नगर पं0 मैरवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
6		जीरादेई	अकोली	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7			छोडका मांझा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8			हसुआ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9			चाँदपाली	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10			जामापुर	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
11			जीरादेई	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12			बढ़ेया	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13			चंदौली गंगौली	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14			मझवलिया	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
15		गुठनी	बेलौर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
16			पड़री	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
17			टड़वा खुर्द	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18			न0पं0 गुठनी	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
19		दरौली	सरहरवा	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
20			बेलॉव	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
21			हरनाटाड	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
22			सरना	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
23			कुम्हटी भुटौली	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
24			कृष्णपाली	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
25			बलहूँ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
26			डमरहर बुजुर्ग	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
27			अमरपुर	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
28			तियर	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
29		हुसैनगंज	पकवलिया	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
30			मचकना	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
31			हबीबनगर	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
32			मड़कन	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
33			चॉप	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
34			छाता	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
35			हथौड़ा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
36			खरसण्डा	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37			बड़रम	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
38			बघौनी	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
39			पूर्वी हरिहॉस	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
40			नगर पं0 गोपालपुर	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
41		हसनपुरा	उसरी खुर्द	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
42			शेखपुरा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
43			कर्णपुरा	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
44			लहेजी	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
45			तेलकथू	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
46			पियाउर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
47			सहुली	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
48			हरपुर कोटवा	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
49			रजनपुरा	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
50			न0पं0 हसनपुरा	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
51		बड़हरिया	बहादुरपुर	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
52			बहुआर कादिर	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
53			भामोपाली	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
54			भोपतपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
55			दिनदयालपुर	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
56			हरदोबारा	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
57			हरिहरपुर लालगढ़	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
58			हथिगाई	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
59			लकडी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
60			लकडी दरगाह	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
61			माधोपुर	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
62			राछोपाली	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
63			रामपुर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
64			रसूलपुर	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
65			सिकन्दरपुर	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
66			न0पं0 बड़हरिया	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	8

New rikti format

क्र0	अनुमण्डल	प्रखण्ड/न0 परि का नाम	पंचायत/वार्ड सं0	अनारक्षित	अनारक्षित महिला	अनु0 जाति	अनु0 जाति (महिला)	अनु0 जन जाति वर्ग	अनु0 जन जाति (महिला)	अ0पि0वर्ग	अ0पि0वर्ग (महिला)	पि0 वर्ग	पि0 वर्ग (महिला)	पि0 वर्ग की महिला (3%)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
67	अनुमण्डल सिवान सदर	पचरूखी	बिन्दुसार बुजुर्ग	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
68			तरवारा	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
69			महुवारी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
70			हरदिया	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
71			मखनुपुर	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
72			सुपौली	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
73			उखई	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
74			पपौर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
75			गोपालपुर	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
76			पचरूखी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
77			सरौती	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
78		रघुनाथपुर	गभीरार	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
79			कड़सर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
80			खुजवाँ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
81			राजपुर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
82			संठी	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
83			टारी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
84			निखती कला	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
85			पंजवार	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
86		सिसवन	बघौना	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
87			चैनपुर मोबारकपुर	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
88			गंगपुर सिसवन	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
89			घुरघाट	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
90			नयागाँव	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
91			रामगढ़	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
92			रामपुर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		कुल–		**36**	**19**	**25**	**14**	**2**	**1**	**16**	**8**	**0**	**0**	**0**	**8**	**5**	**134**
93	अनुमण्डल महाराजगंज	दरौंदा	रामसापुर	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
94			हड़सर	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
95			सिरसांव	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
96			बालबंगरा	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
97			रसुलपुर	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
98			मडसरा	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
99			शेरही	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
100			बगौरा	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3
101			जलालपुर	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
102		महाराजगंज	हजपुरवा	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
103			माधोपुर	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3
104			तेवखा	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
105			बलिया	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
106			पोखरा	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	5
107			कसदेवरा	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
108			रिसौरा	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
109			पटेढा	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
110			देवरिया	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
111			सिकटिया	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
112			तक्कीपुर	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3
113			बलउ	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
114		गोरेयाकोठी	हेतिमपुर	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
115			बरहोगा प्रसोतिम	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
116			मझवलिया	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
117			हरिहरपुर कला	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
118			सादीपुर	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
119			गोरेयाकोठी	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
120			सरारी उ0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
121			सरारी द0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
122			महम्मदपुर	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
123			हरपुर	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3
124			दुघड़ा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
125			भिठ्ठी	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3
126			मुस्तफाबाद	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
127			सैदपुरा	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
128			सानी बसंतपुर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
129			सतवार	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
130			सिसई	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
131			आन्द्रा	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
132		लकड़ी नवीगंज	भादा	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	3
133			बलडिहा	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
134			लखनौरा	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
135			पढौली	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
136			लकडी	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	3
137			बसौली	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
138			जगतपुर	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
139			गोपालपुर	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

New rikti format

क्र0	अनुमण्डल	प्रखण्ड/न0 परि का नाम	पंचायत/वार्ड सं0	अनारक्षित	अनारक्षित महिला	अनु0 जाति	अनु0 जाति (महिला)	अनु0 जन जाति वर्ग	अनु0 जन जाति (महिला)	अ0पि0वर्ग	अ0पि0वर्ग (महिला)	पि0 वर्ग	पि0 वर्ग (महिला)	पि0 वर्ग की महिला (3%)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
140	अनुमण्ड महाराजगंज	बसंतपुर	मोलनापुर	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
141			कुमकुमपुर	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
142			बसंतपुर न0पं0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	5
143		भगवानपुर हाट	मोहम्मदपुर	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
144			खेड़वा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145			बनसोही	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146			मोरा खास	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147			मिरजुमला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148			कोड़िया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149			भीखमपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150			बलहा एराजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151			गोपालपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152			उ0 साघर सुल्तानपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153			द0 साघर सुल्तानपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154			सोन्धानी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल–				11	6	8	4	2	0	35	19	0	0	0	6	4	95
कुल योग–				47	25	33	18	4	1	51	27	0	0	0	14	9	229

समाहरणालय, सीवान

(आपूर्ति शाखा)

अनुसूची – 1

बिहार लक्षियत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र (व्यक्तियों के लिए)

अनुज्ञापन प्राधिकारी का पदनाम एवं कार्यालय का पता

आवेदक का अभिप्रमाणित फोटो

1. आवेदक की विशिष्टियाँ :–

(क) नाम –

(ख) पिता/पति का नाम –

(ग) शैक्षणिक योग्यता – मैट्रिक [ ] / इंटर [ ] /स्नातक [ ]
स्नाकोत्तर [ ] / अन्य [ ] ....

(घ) उच्चतम योग्यता धारित (पूर्ण) करने का वर्ष [ ]

(ङ0) उम्र /जन्म तिथि –

(च) स्थायी तथा वर्तमान पता –
(फोन नं0/मोबाईल नं0/ई–मेल पता के साथ)

(छ) कम्प्यूटर ज्ञान –

(ज) आवेदक की कोटि –
(आवेदक जिस कोटि से संबंध रखते है)

(झ) आवेदन की कोटि –
(जिस कोटि हेतु आवेदन किया जा रहा है)

2. उचित मूल्य की दुकान का विवरण जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :–

(क) मकान/दुकान संख्या –

(ख) होल्डिंग नं0 –

(ग) क्षेत्रफल –

(घ) खाता नं0 – एवं खेसरा नं0 –

(ङ0) चौहदी –

(च) मुहल्ला/वार्ड नं0 –

(छ) ग्राम/शहर –

(ज) थाना –

(झ) जिला –

3. अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. आरक्षण का दावा हो तो आरक्षण वर्ग का उल्लेख करें और जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें।
5. व्यवसाय स्थल अपना है या किराया का ? अगर किराया का है तो किराया के इकरारनामा की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
6. यदि आवेदक के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है, तो विवरण दें।

7. क्या आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियत 10) के अधीन जारी किये गये किसी भी आदेश के उल्लंघन के कारण अथवा अन्य किसी अपराधिक मामलें में अन्तिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है ?
8. क्या आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित या सिद्धदोष ठहराया गया है ?
9. क्या आवेदक के विरूद्ध कोई अपराधिक मामला लंबित है ?
10. क्या आवेदक सरकारी लाभ के किसी पद पर पदस्थापित है ? यदि हाँ तो विस्तृत विवरण दें।
11. क्या आवेदक सरकारी नौकरी में है ? यदि हाँ तो विस्तृत विवरण दें।
12. क्या आवेदक के पास आटा चक्की है ?
13. क्या आवेदक आटा चक्की मालिक का निकट रिश्तेदार है ?
14. क्या आवेदक मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति का सदस्य, जिला परिषद् का सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकाय का निर्वाचित सदस्य है ?
15. उक्त प्रपत्र की सभी स्तम्भ भरें होने चाहिये, अन्यथा आवेदन अस्वीकृत/अमान्य कर दी जायेगी।
16. जो कॉलम आपसे संबंधित नहीं है उक्त कॉलम पर नही (X) का चिन्ह अवश्य अंकित करें अन्यथा आवेदन अस्वीकृत/अमान्य कर दी जायेगी।
17. आवेदन करने हेतु आवेदन प्रपत्र (Application Form) संबंधित अनुमण्डल कार्यालय/जिला के वेबसाईट से प्राप्त करें।

मैं .... एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास में सही है एवं उनमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है। भविष्य यदि ये असत्य पाये जाते हैं तो मैं कानूनी कार्रवाई का भागी होउँगा।

"बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, '2016' के प्रावधानों को मैने सावधानीपूर्वक पढ़/समझ लिया है तथा मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान :

दिनांक : आवेदक का हस्ताक्षर

समाहरणालय, सीवान

(आपूर्ति शाखा)

अनुसूची – 2

बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेष, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र

(स्वयं सहायता समूह, महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ के लिए)

अनुज्ञापन प्राधिकारी का पदनाम एवं कार्यालय का पता –

आवेदक का अभिप्रमाणित फोटो

1. महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह की विशिष्टियाँ :–
   - (क) नाम एवं प्रकार –
   - (ख) निबंधन संख्या एवं वर्ष –
     (स्वयं सहायता समूह के लिए गठन का वर्ष वर्त्तमान ग्रडिंग के साथ)
   - (ग) कार्यालय का पता –
   - (घ) मुख्य पेशा एवं कार्य क्षेत्र –
   - (ङ0) प्रबंध समिति के अध्यक्ष/प्रधान एवं सदस्यों का विवरण –
     (निर्वाचन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)
   - (च) अधिक्रमित होने की स्थिति में नियुक्त प्रशासक का नाम एवं पदनाम का उल्लेख करें –
2. उचित मूल्य की दुकान का विवरण जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है –
3. महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह की प्रबंध समिति के द्वारा आवेदन करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति से संबंधित सूचनाएँ :–
   - (क) नाम –
   - (ख) पिता/पति का नाम –
   - (ग) स्थायी पता –
   - (घ) पत्राचार का पता –
   - (ङ0) फोन नं0/मोबाईल नं0/ई–मेल पता –
   - (च) शैक्षणिक योग्यता – मैट्रिक ☐ / इंटर ☐ /स्नातक ☐
     स्नाकोत्तर ☐ /अन्य ☐ ....
   - (छ) कम्प्यूटर ज्ञान –
4. आरक्षण का दावा हो, तो आरक्षण वर्ग का उल्लेख करें एवं प्रबंध समिति के प्रधान सहित सभी सदस्यों की जाति प्रमान पत्र संलग्न करें।
5. व्यापार स्थल का विवरण :–
   - (क) मकान/दुकान संख्या –
   - (ख) होल्डिंग नं0 –
   - (ग) क्षेत्रफल –

(घ) खाता नं0 – एवं खेसरा नं0 –

(ङ0) चौहदी –

(च) मुहल्ला / वार्ड नं0 –

(छ) ग्राम / शहर –

(ज) थाना –

(झ) जिला –

(ञ) गोदाम की भंडारण क्षमता –

6. दुकान या गोदाम का स्थल अपना है या किराये का ? अगर अपना है तो दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें और अगर किराया का है तो किराया के इकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
7. यदि महिलाओं / पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ या स्वयं सहायता समूह के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है, तो इसका विवरण दें।
8. यदि महिलाओं / पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ या स्वयं सहायता समूह के पास उपलब्ध चलती पूंजी का विवरण (आवेदन की तिथि को बैंक खाता एवं उनमें उपलब्ध राशि का विवरण दें)
9. उक्त प्रपत्र की सभी स्तम्भ भरें होने चाहिये, अन्यथा आवेदन अस्वीकृत / अमान्य कर दी जायेगी।
10. आवेदन करने हेतु आवेदन प्रपत्र (Application Form) संबंधित अनुमण्डल कार्यालय / जिला के वेबसाईट से प्राप्त करें।

मैं .... एतद्द्वारा .... की तरफ से इसकी प्रबंध समिति की बैठक में दिनांक .... को पारित प्रस्ताव संख्या .... द्वारा अधिकृत किये जाने के आलोक में घोषणा करता / करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास में सही हैं एवं उनमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि .... की प्रबंध समिति ने "बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" के प्रावधानों को पढ़ / समझ लिया है तथा वह उनका पालन करने के लिए सहमत है।

सहयोग समिति / स्वयं सहायता समूह के प्रधान का हस्ताक्षर –	आवेदन करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर –
नाम –	नाम –
पदनाम –	पदनाम –
सहयोग समिति / स्वयं सहायता समूह का नाम –	सहयोग समिति / स्वयं सहायता समूह का नाम –